



HAPUR POLICE



प्रेस नोट

थाना - सिम्भावली

दिनांक 14.10.2026

- थाना सिम्भावली पुलिस ने गौकशी के अभियोग में वांछित चल रहे 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।
- जिनके कब्जे से अवैध असलहा, गौकशी करने के उपकरण व वॉक्सवैगन पोलो कार बरामद।
- गिरफ्तार अभियुक्तगण दिनांक 07.10.2026 को थाना सिम्भावली क्षेत्रांतर्गत हाईवे पर अपनी डिजायर कार क्षतिग्रस्त होने पर छोड़कर भाग गये थे, जिसमें करीब 80 किलोग्राम प्रतिबंधित पशु का मांस बरामद हुआ था।
- गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध जनपद बदायूं, कासगंज, मुरादाबाद, रामपुर, बुलन्दशहर व हापुड़ में गौकशी, चोरी, आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर एक्ट आदि के करीब ढाई दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

कार्यवाही:-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिम्भावली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 261/26 धारा 325 बीएनएस व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम एवं 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम में वांछित 04 अभियुक्तों को ग्राम बड़ढा नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से अवैध असलहा, गौकशी करने के उपकरण व वॉक्सवैगन पोलो कार बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिम्भावली पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. बच्चन पुत्र छुन्नन निवासी गांव मिर्जापुर शोहरा थाना बिल्ली जनपद बदायूं व हाल निवासी मौहल्ला गद्दी टोला कादरी मस्जिद के पास थाना उझानी जनपद बदायूं।
2. जीशान पुत्र इस्माईल निवासी ग्राम थामला थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद।
3. शान मौहम्मद पुत्र जमील निवासी ग्राम थामला थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद।
4. शहजाद पुत्र इरशाद निवासी अजीजपुर थाना सिविल लाईन जनपद रामपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 02 अवैध तमंचे मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।
- 02 अवैध चाकू ।
- गौकशी करने के उपकरण (रस्सी, एक कुल्हाड़ी, एक रॉड व 02 छुरी आदि)
- वॉक्सवैगन पोलो कार रजि0न0 DL 3C BW 0286

गिरफ्तार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास:-

1. अभियुक्त बच्चन उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 405/17 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना बिल्सी जनपद बदायूं ।
2. मु0अ0सं0 685/17 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम थाना बिल्सी जनपद बदायूं ।
3. मु0अ0सं0 369/18 धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना बिल्सी जनपद बदायूं ।
4. मु0अ0सं0 569/18 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम थाना बिल्सी जनपद बदायूं ।
5. मु0अ0सं0 610/18 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना बिल्सी जनपद बदायूं ।
6. मु0अ0सं0 242/22 धारा 307,379,411 भादवि थाना कादर चौक जनपद बदायूं ।
7. मु0अ0सं0 244/22 धारा 25(1B),3 आर्म्स एक्ट थाना कादर चौक जनपद बदायूं ।
8. मु0अ0सं0 130/18 धारा 307 भादवि थाना उधैती जनपद बदायूं ।
9. मु0अ0सं0 535/24 धारा 3/5ए/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम थाना सोरों जनपद कासगंज ।
10. मु0अ0सं0 19/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सोरों जनपद कासगंज ।
11. मु0अ0सं0 352/25 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना सोरों जनपद कासगंज ।

2. अभियुक्त जीशान उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 730/24 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना कटघर जनपद मुरादाबाद ।
2. मु0अ0सं0 736/24 धारा 25/27/3 109(1) बीएनएस थाना कटघर जनपद मुरादाबाद
3. मु0अ0सं0 242/22 धारा 307/379/411 भादवि थाना कादर चौक जनपद बदायूं
4. मु0अ0सं0 245/22 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना कादर चौक जनपद बदायूं

3. अभियुक्त शान मौहम्मद उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 180/23 धारा 3,5,8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना असमोली जनपद संभल ।
2. मु0अ0सं0 183/23 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 147/ 148 / 149/ 307 भादवि थाना असमोली जनपद संभल ।
3. मु0अ0सं0 287 / 23 धारा 3(1) गिरोहबंध समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना असमोली जनपद संभल ।
4. मु0अ0सं0 444 / 22 धारा 354/504/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद ।

4. अभियुक्त शहजाद उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 236/16 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना फतेहगंज वेस्ट जनपद बरेली ।
2. मु0अ0सं0 99/23 धारा 398/401 आईपीसी थाना शिकारपुर जनपद बुलंदशहर ।
3. मु0अ0सं0 100/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शिकारपुर जनपद बुलंदशहर ।
4. मु0अ0सं0 230/22 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद ।
5. मु0अ0सं0 34/21 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना मुंढापाण्डे जनपद मुरादाबाद ।
6. मु0अ0सं0 78/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 307 आईपीसी
7. मु0अ0सं0 311/19 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना शहजाद नगर जनपद रामपुर ।

8. मु0अ0सं0 93/20 धारा 15/8 स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम थाना शहजाद नगर जनपद रामपुर।
9. मु0अ0सं0 3/15 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11D पशु परिरक्षण अधिनियम 1951 व 207 मोटरयान अधिनियम थाना कटरा जनपद शाहजहांपुर।
10. मु0अ0सं0 452/20 धारा 15/8 स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम थाना गंज जनपद रामपुर।
11. मु0अ0सं0 45/26 धारा 109,3(5) बीएनएस, 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 11, 3 पशु क्रूरता अधिनियम थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़।
12. मु0अ0सं0 273/24 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द चौधरी थाना सिम्भावली जनपद हापुड़।
2. उ0नि0 श्री परवेज चौधरी थाना सिम्भावली जनपद हापुड़।
3. उ0नि0 श्री आलोक कुमार थाना सिम्भावली जनपद हापुड़।
4. उ0नि0 श्री राहुल चौहान थाना सिम्भावली जनपद हापुड़।
5. है0का0 512 नरेन्द्र कुमार थाना सिम्भावली जनपद हापुड़।
6. है0का0 201 रोहित मलिक सर्विलांस सैल हापुड़।
7. का0 462 मनीष राठी थाना सिम्भावली जनपद हापुड़।